चंडीगढ़ । वीरवार । 7 जून 2012

हरियाणा में किसानों के लिए स्टांप ड्यूटी खत्म

चंडीगढ़ में बुधवार को बुलाई बैठक की अध्यक्षता करते सीएम हुड्डा।

अमर उजाला ब्यूरो

सीएम ने किया ऐलान, कृषि कर्ज पर लगती है 1.5 फीसदी ड्यूटी

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए स्टांप ड्यूटी समाप्त कर दी है। कृषि कार्यों के लिए कर्ज लेने के दौरान सूबे के किसानों को अब 1.5 फीसदी स्टांप ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बुधवार को इस बाबत घोषणा कर राज्य के किसानों को बड़ी राहत दी है।

किसानों को अब कृषि कर्जों, आवधिक कर्ज, किसान क्रेडिट कार्ड या अन्य किसी समवर्गी प्रयोजन को कर्ज प्राप्त करने के लिए किसी वाणिज्यिक बैंक के पक्ष में निष्पादित की गई किन्हीं लिखितों के संबंध में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अधीन ली जाने वाले 1.5 प्रतिशत की स्टांप ड्यूटी में छूट होगी। मुख्यमंत्री हुड्डा ने बुधवार को हरियाणा किसान आयोग की सिफारिशों पर कार्यवाही रिपोर्ट की समीक्षा के लिए बुलाई बैठक में इसकी घोषणा की। इससे पूर्व किसान आयोग के अध्यक्ष डा. आरएस परौदा ने मुख्यमंत्री को औपचारिक रूप से हरियाणा राज्य कृषि नीति का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया।

Amar Ujala – 7 June, 2012

कृषि नीति का ड्राफ्ट तैयार, ऋण पर स्टांप ड्यूटी खत्म

किसानों को बड़ी राहत

जागरण ब्यूरो, चंडीगढ़ : प्रदेश सरकार ने बुधवार को राज्य के किसानों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए कृषि ऋण व कृषि उपकरणों पर लिए जाने वाले ऋण पर स्टांप ड्यूटी खत्म कर दी है। कृषि ऋणों पर डेढ़ प्रतिशत स्टांप ड्यूटी वसूल की जाती है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्रैक्टर सहित उसके उपकरणों, ट्रैक्टर ट्रॉली और थ्रैसर खरीदने, डीजन इंजन पर निर्धारित नलकूप लगवाने, नलकूप खुदवाने तथा उन्हें बिजली देने, भूमि में पानी की पाइपें बिछाने, जल मार्गों को पंक्तिबद्ध करवाने, भूमि को समतल बनाने तथा उसका सुधार करने, बागवानी विकसित करने, पॉपिंग सेट, गन्ना पिराई की मशीनें, बैल या हल और छिड़काव के उपकरण खरीदने, कृषि उद्देश्य के लिए छिड़काव से सिंचाई करने, डेयरी, सूअर पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन तथा फसली ऋण, कृषि ऋण, आवधिक ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए स्टांप ड्यूटी देने का प्रावधान खत्म किया है।

मुख्यमंत्री ने हरियाणा किसान आयोग की सिफारिशों पर कार्यवाही रिपोर्ट की समीक्षा बैठक कर रहे थे। इससे पूर्व किसान आयोग के अध्यक्ष डॉ. आरएस परौदा ने मुख्यमंत्री को औपचारिक रूप से राज्य कृषि नीति का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया। यह ड्राफ्ट नीति अनुसंधानों तथा राज्य कृषि से संबंधित विभिन्न सहयोगियों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर तैयार की गई है।

फसल बीमा को अपनाएं किसान

जागरण ब्यूरो, चंडीगढ़ : किसान आयोग के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने फसल बीमा को व्यापक स्तर पर अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि किसानों को किसी प्रकार के होने वाले नुकसान से बचा जा सके। उन्होंने आयोग को गेहूं तथा चावल के फसली चक्र के विविधिकरण की तरफ कार्य करने तथा बॉयोमॉस का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए करने को कहा।

बैठक में मुख्यमंत्री ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति डॉ. केएस खोखर को जलवायु परिवर्तन को देखते हुए गेहूं तथा अन्य फसलों की नई फसलों के बीज विकसित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य पशुधन मिशन स्थापित करने की भी घोषणा की ताकि कृषि की सकल घरेलू उत्पादन दर को और अधिक बढ़ाया जा सके।

बैठक में हुड्डा ने कहा कि राज्य में मौसम की जानकारी, कृषि सहयोग एवं सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार तथा हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड पंचकूला को संयुक्त रूप से एक टीवी चैनल आरंभ करना चाहिए।

किसान आयोग के साथ बैठक करते मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा। जागरण

Dainik Jagran – 7 June, 2012

शिक्षकों और किसानों पर सरकार मेहरबान

मिडिल हेड के 5548 पद सृजित किए

चंडीगढ़। हरियाणा के मौलिक शिक्षा विभाग ने मिडिल हेड (मौलिक शिक्षा) के 5548 पद सृजित किए और ये सभी के तरक्की के माध्यम से भरे जाएंगे। इन पदों में से 85 पद प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों में से, 7-7 प्रतिशत हिन्दी व संस्कृत अध्यापकों से और 1 प्रतिशत पंजाबी अध्यापकों से भरे जाने हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता सेवा नियमों के अनुरूप निर्धारित की गई है।

इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता सेवा नियमों के अनुसार निर्धारित की गई है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पात्र टीचरों की न्यूनतम योग्यता बीए/बीएससी और मौलिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा अथवा कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बीए या बीएससी और एक वर्षीय शिक्षा स्नातक (बीएड) होनी चाहिए। या कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ बीए/बीएससी और एक वर्षीय शिक्षा स्नातक (बीएड) जो इस संबंध में समय-समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानक और क्रिया विधि) विनियम के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

किसानों को स्टांप ड्यूटी से डेढ़ प्रतिशत की छूट

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने राज्य के किसानों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अधीन लिए जाने वाले 1.5 प्रतिशत की स्टाम्प ड्यूटी खत्म करने की घोषणा की । वह बुधवार को यहां हरियाणा किसान आयोग की सिफारिशों पर कार्यवाही रिपोर्ट की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उन्होंने 'कृषि उत्पादन पर कार्य दल समूह की रिपोर्ट' के हिन्दी संस्करण का विमोचन भी किया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों को स्टांप ड्यूटी में छूट ट्रैक्टर सहित उसके उपकरणों, ट्रैक्टर ट्रॉली और थ्रेशर खरीदने, डीजल इंजन पर निर्धारित नलकूप लगवाने, नलकूप खुदवाने तथा उन्हें बिजली देने, भूमि में पानी की पाइपें बिछाने, जल मार्गों को पंक्तिबद्ध करवाने, भूमि को समतल बनाने तथा उसका सुधार करने आदि कामों के एवज में मिलेगी। राज्य में मौसम की जानकारी, अन्य कृषि सहयोग एवं सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए कृषि विश्वविद्यालय, हिसार को एक टीवी चैनल शुरू करना चाहिए।

Dainik Bhaskar – 7 June, 2012

Stamp duty abolished for farmers

TRIBUNE NEWS SERVICE

CHANDIGARH, JUNE 6

In a major relief to the farming community, Chief Minister Bhupinder Singh Hooda today announced abolition of stamp duty on documents executed by a farmer in favour of a commercial bank for obtaining loan.

Hooda made this announcement while presiding over a meeting here to review the action taken report on the recommendations of the Haryana Kisan Ayog.

Under the Indian Stamp Act, 1899, a stamp duty of 1.5 per cent is chargeable on mortgage deeds. Now the farmers will not be required to pay this duty if they execute any instrument in favour of a commercial bank for taking loans for buying a tractor along with its accessories like trolley and thrasher, for installing a tubewell, laying of underground pipes, lining of water courses, levelling and reclamation of land or any other agricultural purpose.

Earlier, chairman of the Haryana Kisan Ayog RS Paroda formally submitted the draft of the Haryana State Agriculture Policy to the Chief Minister. The draft policy is an outcome of various interface meetings organised by the Ayog with stakeholders at various levels.

Hooda also announced the establishment of a State Livestock Mission to enhance the scope of agricultural GDP. Laying stress on establishing an efficient state-level framework for providing support and services, Hooda directed officers of the Haryana State Agricultural Marketing Board and Hisar agriculture university to jointly start a TV channel on agriculture.

Tribune – 7 June, 2012

'1.5% stamp duty to be remitted to farmers'

HT Correspondent
chdnewsdesk@hindustantimes.com

REMITTANCE WILL BE AVAILABLE TO INSTALL TUBEWELLS RUN ON DIESEL ENGINE, DIGGING AND ELECTRIFICATION OF THE TUBEWELLS

CHANDIGARH: Haryana chief minister Bhupinder Singh Hooda on Wednesday announced that the 1.5% stamp duty on loans for purchase of farms machinery would be remitted to farmers.

The duty was chargeable under the Indian Stamp Act, 1899, in respect of instruments used by farmers in favour of any commercial bank for getting loans to buy tractors, tractor trolleys, accessories and thrashers.

The remittance would also be available for installing tubewells run on diesel engine, digging and electrification of tubewells, laying of underground pipes, lining of water course, levelling and reclamation of land and development of horticulture and purchase of pumping sets, cane crushers, bullocks or plough and spray equipments, sprinkler irrigation for agricultural purposes, dairy, pig rearing, poultry, fishery as well as crop loans, agricultural loans, term loans, Kisan credit cards and any other allied purpose.

Presiding over a meeting to review the action taken report on the recommendations of Haryana Kisan Ayog, Hooda said the decision would benefit the farmers in the state.

Earlier, the chairman of Haryana Kisan Ayog, RS Paroda, formally submitted the draft of Haryana State Agriculture Policy to the chief minister. The draft policy is the result of various interface meetings organised by Haryana Kisan Ayog with stakeholders at various levels.

Praising the work done by Haryana Kisan Ayog in drafting the agriculture policy, Hooda stressed the need to intensively take up crop insurance so as to minimise losses to farmers. He asked Paroda to work towards diversification of wheat-rice cycle and said biomass should be utilised in power generation in rural areas.

Hooda also directed HAU vice-chancellor KS Khokhar, to develop new varieties of seeds of wheat and other crops keeping in view the climate change.

Hindustan Times – 7 June, 2012